न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.
वादपत्र अन्तर्गत धाराः–88 आरटीए
प्रकरण संख्याः–317 / 2020

1. औमप्रकाश } पि0 बनवारीलाल जाति जाट निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी
2. रणजीतसिह } जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम्

1. बनवारीलाल पुत्र गौरूराम माता पारीदेवी जाति जाट निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. शारदा देवी पत्नी बनवारीलाल जाति जाट निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

उपस्थित–श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता वादीगण

श्री करनैलसिह अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय **दिनांक :– 01.01.2020**

वादीगण औमप्रकाश आदि ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा बाबत घोषणा के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण आपस में एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादीगण के पिता, प्रतिवादीसं0 1 के नाम से चकनं0 16 एस.एल. डबल्यू के जमाबन्दी संवत 65 / 65 में कुल 7.590 है0 में से 1 / 3 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा बनता है। वादीगण व प्रतिवादीगण का वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी का अर्सा दराज पूर्व आपस में घरू बटवारां हो गया था व घरू बटवारां में वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज प्रतिवादी सं0 1 के नाम की 1 / 3 हिस्सा की आराजी वादीगण को ब0हि0ब0 प्राप्त हुई थी तथा प्रतिवादीगण सं0 2 ने वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी में से अपने हक व हिस्सा की आराजी का मौखिक रुप से हक त्याग कर दिया था। वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज प्रतिवादी सं0 1 के नाम की आराजी पर वादीगण ब0हि0ब0 काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है व अपनी आराजी की रकम राज व नहरी आबियाना आदि जमा करवाते चले आ रहे है।वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज प्रतिवादीसं0. 1 के नाम की आराजी वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में ब0हि0ब0 दर्ज नही होने से तथा प्रतिवादीसं0 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है.इसलिए वादीगण वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज प्रतिवादी सं0 1 के 1 / 3 हिस्सा की आराजी ब0हि0ब0 अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाकर चकनं0 16 एस.एल.डबल्यू के खाता सं0 65 / 65 मे से प्रतिवादीसं0 1 का नाम कलमजन करवाना चाहते है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को वादपत्र की दफा 2 में आराजी प्रतिवादी सं0 1 के नाम की आराजी वादीगण के नाम से ब0हि0ब0 अंकन करवाकर खाता हाजा में से प्रतिवादीसं0 1 का नाम कलमजन करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण कतई इन्कार हो गये। बस यही बिनाय दावा है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के वाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया।प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा अपना सहमति का जबाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी पैतृक सम्पति है। वादीगण व हम प्रतिवादीगण का वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी का अर्सा दराज पूर्व आपस में घरू बटवारां हो गया था व घरू बटवारां में वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज प्रतिवादी सं0 1 के नाम की 1/3 हिस्सा की आराजी वादीगण को ब0हि0ब0 दी हुई है तथा मुझ प्रतिवादीगण सं0 2 ने वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी मे से अपने हक व हिस्सा की आराजी का मौखिक रुप से हक त्याग कर दिया था। वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज प्रतिवादी सं0 1 के नाम की आराजी पर वादीगण ब0हि0ब0 काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है व अपनी आराजी की रकम राज व नहरी आबियाना आदि जमा करवाते चले आ रहे है।वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज प्रतिवादीसं0. 1 के 1/3 हिस्सा की आराजी के वादीगण ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चकनं0 16 एस.एल.डबल्यू के खाता सं0 65/65 मे से प्रतिवादीसं0 1 का नाम कलमजन किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज्र व एतराज नही है।इसी अनुसार हमारा राजीनामा हो गया है व हम पूर्णतया सहमत है। जबाबदावा के साथ पक्षकारान की आई.डी. की फोटो प्रतियॉ पेश की गई। वादी औमप्रकाश द्वारा साक्ष्य के रुप में अपना शपथ पत्र,वारिसनामा, वारिसनामा बाबत स्टाम्प पैतृक सम्पति बाबत जमाबन्दी चक 16 एस.एल.डबल्यू के खाता सं0 18 संवत 2019 ता 22 की फोटो प्रति पेश की गई, जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस सुनी गई।वकील वादीगण ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद में प्रतिवादीगण द्वारा सहमति का जबाबदावा पेश होने के कारण मुताबिक वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। वादीगण के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे यह भी निवेदन किया गया कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद का कोई विरोध नही किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में ब0हि0ब0 अंकन करने का निवेदन किया गया। वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी पैतृक सम्पति है जिस बाबत वादीगण जमाबन्दी चक 16 एस.एल. डबल्यू के खाता सं0 18 संवत 2019 ता 22 की फोटो प्रति पेश की। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया गया है।वादीगण का वाद पूर्णतया साबित है। मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस सुनने के उपरान्त प्रस्तुत दस्तावेजों जमाबन्दी, जबाबदावा,शपथ पत्र, वारिसनामा, स्टाम्प, पैतृक सम्पति बाबत जमाबन्दी चक 16 एस.एल.डबल्यू के खाता सं0 18 संवत 2019 तां 22 की फोटो प्रति का गहराई से अध्ययन किया गया।राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी प्रतिवादी सं0 1 बनवारीलाल के नाम से दर्ज है।पत्रावली में वादीगण द्वारा जो दस्तावेज जमाबन्दी, शपथ पत्र. वारिसनामा, स्टाम्प, पैतृक सम्पति बाबत प्रस्तुत जमाबंदी खाता सं0 18 संवत 2019 ता 22 व प्रस्तुत जबाबदावा के आधार पर व प्रतिवादीगण के द्वारा किसी प्रकार का वाद का विरोध न करने के कारण तथा मुताबिक जबाबदावा वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।उपरोक्त विवेचनानुसार वाद मुताबिक जबाबदावा व प्रस्तुत दस्तावेजात, सहमति के आधार पर वाद वादीगण साबित करने में सफल रहे है। वाद वादीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

...क कलक्टर
...खण्ड अधिकारी
टिब्बी

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है कि चकनं0 16 एस.एल.डबल्यू के जमाबन्दी संवत 65/65 में कुल 7.590 है0 में से प्रतिवादी सं0 1 बनवारीलाल के 1/3 हिस्सा भूमि के वादीगण को ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चकनं0 16 एस.एल.डबल्यू के खाता सं0 65/65 में से प्रतिवादी सं0 1 बनवारीलाल का नाम

कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 01·01·2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मांगीलाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः–317/2020

1.औमप्रकाश } पि0 बनवारीलाल जाति जाट निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी
2.रणजीतसिह } जिला हनुमानगढ। वादीगण

बनाम्

1.बनवारीलाल पुत्र गौरूराम माता पारीदेवी जाति जाट निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

2.शारदा देवी पत्नी बनवारीलाल जाति जाट निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मांगीलाल आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री वकील सुभाषचन्द्र गर्ग वादीगण मिन जामिन मुदई श्री करनैलसिह प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दियां जाता है व डिग्री दी जाती है कि चकनं0 16 एस.एल.डबल्यू के जमाबन्दी संवत 65/65 में कुल 7.590 है0 में से प्रतिवादी सं0. 1 बनवारीलाल के 1/3 हिस्सा भूमि के वादीगण को ब0हि0व0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चकनं0 16 एस.एल.डबल्यू के खाता सं0 65/65 में से प्रतिवादी सं0 1 बनवारीलाल का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज....x....निल......x...मुब्लिक..x..निल.....x....बाबत्.......x......निल..........x.......खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ....x.....अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 01.01.2021 को जारी किया गया।

(मांगीलाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी